

6136/PSD 2/16

FROM : K4483

400140 101 522 2239076

29 Jul. 2016 06:20PT P1

VS (M)

निदेशक, पोस्टो

29.07.16  
बीरेश कुमार सिवाशी  
प्रमुख सचिव  
पंचायत राज विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-फोनो-8-1062/ग्यारह-9(156)/16-उप्रअधि-5-2008-आदेश-(162)-2018

दिनांक: 29 जुलाई, 2018

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संबंधित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 30 जुलाई, 2016 से पंचायत उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित सेनेटरी नैपकिन एवं मैटरनिटी नैपकिन के विक्रय के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर का उद्ग्रहण और भुगतान नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,



(बीरेश कुमार)  
प्रमुख सचिव।

VS (M)

29.7.16

Santoshi Celf

29.7.16

(एसओ एसओ सिटी)

**UTTAR PRADESH SHASAN  
SANSTHAGAT VITTA, KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Government notification no. KA.NI.-2-1062/XI-9(155)/16-U.P.Act-5-2008-Order-(162)-2016 dated July 29, 2016:


**NOTIFICATION**

-----  
No.- KA NI.-2-1062/XI-9(156)/16-U.P.Act-5-2008-Order-(162)-2016  
Lucknow Dated: July 29, 2016  
-----

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, Therefore, in exercise of the powers under clause (c) of section 7 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P.Act no. 5 of 2008), the Governor is pleased to direct that no tax shall be levied and paid under the said Act, on the turnover of sale of Sanitary Napkin and Maternity Napkin manufactured by Uttar Pradesh Panchayat Udyog, with effect from July 30, 2016.

By order,

  
(Biresh Kumar)  
Pramukh Sachiv.



प्रेषक

प्रदीप कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,  
संस्कृति मंत्रालय,  
राजबाग, लखनऊ।

संस्थागत विज्ञापन निबन्धन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 29 जुलाई 2016

महोदय,

संस्थागत विज्ञापन कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1062/ग्यारह-9(156)/16-उ0प्र0आधे0-5-2008-आदेश-(162)-2016 दिनांक 29 जुलाई 2016 की हिन्दी तथा अंग्रेजी की एक-एक प्रती संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया इसे दिनांक 29 जुलाई, 2016 के असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए इन्की 3000 प्रतिया कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को एवं 200 प्रतिया शानत को तत्काल उपररक्ष करान का कष्ट कर,

2- यह अधिसूचना असाधारण गजट के विधा में परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (3) के अन्तर्गत प्रकाशित की जायगी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

( प्रदीप कुमार सिंह )  
संयुक्त सचिव।

संख्या-1063(1)/ग्यारह-2-2016-तदुदिनांक

प्रतिलिपि मय संलग्नक निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कारवाही हेतु प्रेषित-

- 1- कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0 प्र0 लखनऊ।
- 2- निदेशक सूचना विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ (पचार-प्रकार हेतु)।
- 3- प्रमुख सचिव, पचायती राज विभाग, उ0 प्र0 शासन।
- 4- विभागीय विभाग (अनुभाग-1) उ0 प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से

29-7-16  
( प्रदीप कुमार सिंह )  
संयुक्त सचिव।